भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
विकास आयुक्त का कार्यालय
सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096

सत्यमेव जयते

Government of India
Ministry of Commerce & Industry
Office of the Development Commissioner
SEEPZ Special Economic Zone
Andheri (E), Mumbai - 400096

वेबसाइट: www.seepz.gov.in | ई-मेल: dcseepz-mah@nic.in | टेलीफोन: 022-28290856/28294700

File No. SECU-11011/1/2022-SECURITYSECTION/01616 दिनांक: 29.01.2026

सूचना - अनुस्मारक
NOTICE – REMINDER

विषय: बसों में फेस डिटेक्शन डिवाइस की स्थापना एवं उपस्थिति दर्ज करने के संबंध में निर्देश
Subject: Instructions Regarding Installation of Face Detection Devices and Attendance Marking in Buses.

दिनांक 16.01.2026 के नोटिस SECU-11011/1/2022-SECURITYSECTION/01241 के संदर्भ में यह पुनः दोहराया जाता है कि जिन बसों में फेस डिटेक्शन डिवाइस स्थापित नहीं की गई है तथा जिन बसों में कर्मचारी स्थापित डिवाइस के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं, ऐसी बसों को डिवाइस की स्थापना एवं उपस्थिति अनुपालन सुनिश्चित होने तक SEEPZ में प्रवेश/निकास की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बस सेवा का लाभ उठाने वाले सभी कर्मचारियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे बसों में स्थापित डिवाइस के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करें।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न करने की स्थिति में संबंधित बसों को SEEPZ में प्रवेश/निकास की अनुमति नहीं दी जाएगी।

निर्देश:

1. **इकाइयाँ(Units):**
   सभी इकाइयों को निर्देशित किया जाता है कि जो कर्मचारी बस सेवा का उपयोग नहीं कर रहे हैं, उन्हें संबंधित यूनिट एडमिन लॉग-इन में

With reference to the Notice dated 16.01.2026 SECU-11011/1/2022SECURITY SECTION/01241, it is reiterated that buses in which the face detection device has not been installed, and buses where employees are not marking their attendance through the installed device, shall not be permitted entry/exit to/from SEEPZ until the device is installed and attendance compliance is ensured.

All employees availing the bus service must mandatorily mark their attendance through the device installed in the buses.

Non-compliance with the above instructions will result in denial of entry/exit of the buses concerned at SEEPZ.

Directions:

Units:

1. Units are directed to disable employees who are not availing the bus services by using the option provided in the respective Unit Admin login.

उपलब्ध विकल्प के माध्यम से निष्क्रिय (Disable) करें।

2. यूनिट्स बस सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले संबंधित कर्मचारियों की तस्वीरें अपडेट करेंगी।

VAMS टीम:

1. VAMS टीम यह सुनिश्चित करेगी कि एक स्वचालित हटाने (Auto-Removal) की सुविधा विकसित की जाए, जिसके अंतर्गत वे कर्मचारी जो लगातार 30 दिनों तक बस सेवा का उपयोग नहीं करते हैं, उनके डेटा को स्वतः हटाया जा सके।

2. मल्टीपल यूनिट्स के लिए बस सर्विसिंग के मामले में VAMS डिवाइस में मल्टीपल यूनिट्स का डेटा अपडेट करेगा।

बस ठेकेदार:-

बहुविध इकाइयों के लिए बस सेवा प्रदान करने की स्थिति में बस ठेकेदारों को बस और यूनिट मैपिंग डेटा उपलब्ध कराना होगा।

यह SEEPZ-SEZ के संयुक्त विकास आयुक्त द्वारा अनुमोदन से जारी किया जाता हैं।

2. Units shall update the photos of the respective employees using the bus services

VAMS Team:

1. The VAMS Team shall introduce an auto-removal feature to automatically delete employee data of those who do not use the bus service for 30 consecutive days.

2. VAMS shall update the multiple units data in the devices in case of bus serving for multiple units.

Bus Contractors:-

Bus contractors shall provide bus and unit mapping data is case of bus serving for multiple units.

This issues with the approval by the Joint Development Commissioner, SEEPZ–SEZ.

29-01-2026

(राहुल शिवण्णगोल)
सहायक विकास आयुक्त/सूरक्षा
सीप्ज़-सेज़

प्रति,

- बस सेवाओं का उपयोग करने वाली सभी इकाइयाँ
- सभी बस मालिकों/संचालकों
- M/s Vams